30.6.18	पत्रावली हाईकोर्ट उदयपुर बाबी में पेश हुई। वकलाय उपस्थित। वकलाय को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वापस के काम हो तथा मूल वाद में कार्यवाही रहे। उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner